इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड संख्या: 13 अंक संख्या: 9 अप्रैल, 2021 पृष्ठों की संख्या 18

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबंधित नीतियाँ ---------- 4
विनियामकों के कथन ----------5
आर्थिक संवेष्टन ----------7
विदेशी मुद्रा ----------8
शब्दावली----------9
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ---------- -9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------10
संस्थान समाचार ----------**10**
नयी पहलकदमी ----------14
बाजार की खबरें ----------14

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने आवर्ती आनलाइन लेनदेनों के प्रसंस्करण को कार्यान्वित करने हेतु हितधारकों को अधिक समय दिये

आनलाइन लेनदेनों के आवर्ती भुगतानों के लिए ई-अधिदेश के नए मानदंडों को अपनाने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रस्थान की समय-सीमा 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप सभी हितधारकों को राहत प्राप्त हुई है। अगस्त, 2019 में जारी अधिसूचना के अनुसार पूर्ववर्ती समय-सीमा अप्रैल, 2021 थी।

नए मानदंड बैंकों को उनके ग्राहकों को सूचित करने तथा इस प्रकार के लेनदेनों को संसाधित किए जाने के पूर्व डेबिट एवं क्रेडिट कार्डों के जरिये किए जा रहे आवर्ती भुगतानों के लिए उनसे अनुमोदन प्राप्त करने में समर्थ बनाते हैं।

उपर्युक्त मानदंड पाजीकरण के दौरान अतिरिक्त कारक प्राधिकरण (AFA) के उपयोग और पहले लेनदेन (बाद वाले लेनदेनों के लिए 5,000 रुपए तक की छूट सहित) को अनिवार्य बनाते हैं। वे लेनदेन-पूर्व सूचना को भी आवश्यक बनाते हैं तथा उक्त अधिदेश को वापस लेने की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि उक्त ढांचा ग्राहकों को कपटपूर्ण लेनदेनों से बचाने और उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए निर्मित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक ऐसे अधिदेश उक्त ढांचे के अनुपालक न हों हितधारकों

द्वारा इस बढाई गई समय-सीमा के दौरान आवर्ती आनलाइन लेनदेनों के लिए कोई नया अधिदेश पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

भुगतान फ़र्मों और समाकलकों को कार्डों के विवरण भंडारित करने हेतु वैकल्पिक समाधान खोजने के लिए 6 माह का और समय मिला

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्च, 2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान फ़र्मों और भुगतान समाकलकों से जुलाई, 2021 से और उसके बाद कार्ड विवरणों को उनके डाटाबेस में न भंडारित करने के लिए कहा गया था।

अब शीर्ष बैंक ने उन्हें और अन्य सहभागियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ढांचे के भीतर टोकनीकरण जैसा कोई कामचलाऊ समाधान लागू करने के लिए 31 दिसंबर, 2021 तक का एक विस्तार प्रदान किया है।

इस समय आनलाइन व्यापारी, ई-वाणिज्य कारोबारी तथा भुगतान समाकलक उनके ग्राहकों के कार्ड विवरण भंडारित कर सकते हैं।

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश : चेक ट्रंकेशन प्रणाली सभी शाखाओं में लागू करें

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से चेक ट्रंकेशन प्रणाली (CTS) की उपलब्धता का लाभ उठाने और इस बात की परवाह किए बिना कि उनकी शाखा कहाँ स्थित है ग्राहकों को एक-समान अनुभव प्रदान करने हेतु को उसे उनकी भारत में स्थित सभी शाखाओं में लागू करने के लिए कहा है।

बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनकी सभी शाखाएँ 30 अप्रैल, 2021 तक संबन्धित ग्रिड के अधीन छवि (image)-आधारित चेक ट्रंकेशन में सहभागिता करना प्रारम्भ कर दें। वे इसे कार्यान्वित करने के लिए किस प्रकार की योजना बना रहे हैं उसकी रूपरेखा और उसकी स्थिति से संबंधित रिपोर्ट 30 अप्रैल, 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

बैंक अपनी पसंद के माडेल चुनने हेतु स्वतंत्र हैं - चाहे वह प्रत्येक शाखा में यथोचित मूलभूत सुविधा परिनियोजित करना हो या फिर अन्यों के साथ एक हब एवं स्पोक माडेल अपनाना हो। बैंकों को अपने माडेलों को परिचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय बनाए रखना चाहिए।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के लिए किसी केंद्रीय प्रतिपक्ष द्वार न स्वीकृत व्युत्पन्नी एक्सपोजर से संबन्धित सीमाएं आस्थगित

बैंकों के लिए किसी केंद्रीय प्रतिपक्ष द्वारा न स्वीकृत व्युत्पन्नी (derivative) एक्सपोजर से संबन्धित सीमाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर के अंत तक आस्थगित कर दी गई हैं। यह आस्थगन उस बड़े एक्सपोजर ढांचे का अंग बना दिया गया है जो शीर्ष बैंक द्वारा एक वर्ष पहले जारी किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देश के संबंध में मास्टर निर्देशों को संशोधित किया

14 मार्च, 2019 के अपने पूर्ववर्ती आदेश को दमित करते हुये गृह मंत्रालय ने 2 फरवरी, 2021 को एक संशोधित आदेश जारी किया है। उक्त संशोधित आदेश के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए अपने ग्राहक को जानिए (KYC) संबंधी अपने मास्टर निर्देशॉ की धारा 51 (ए), 52 और 54 को संशोधित कर दिया है।

धारा 51 (ए) अवैध गतिविधि निवारण अधिनियम (UAPA) के कार्यान्वयन की कार्यविधियों से संबन्धित है।

अधिनियम की धारा 54 यह बताने के लिए संशोधित की गई है कि अवैध गतिविधि निवारण अधिनियम के लिए नोडल अधिकारियों की सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मास्टर निर्देश में सभी परिवर्तनों को तत्काल प्रभाव से प्रयोज्य बनाया गया है।

विनियामकों के कथन

आगामी दशक में भारत में चार प्रकार के बैंक, विषमांगी बैंकिंग परिलक्षित होंगे : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

टाइम्स नेटवर्क इंडिया आर्थिक निर्वाचक सभा (conclave) में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने यह दावा किया कि शीर्ष बैंक को भारत में एक प्रतिस्पर्धात्मक, कुशल और विजातीय बैंकिंग क्षेत्र का पूर्वाभास होता है तथा वह उसी दिशा में उत्साहपूर्वक कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वव्यापी बैंक, लघु वित्त बैंक़ (SFB) और भुगतान बैंक इस दिशा में एक कदम हैं।

श्री दास ने आगे यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को आगामी दशक में भूदृश्य में बैंकों के चार पृथक सेटों की प्रधानता की आशा है। इनमें से पहला सेट घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति वाले कुछेक बड़े बैंकों का होगा। दूसरा सेट मझोले आकार के किफायत-व्यापी उपस्थिति वाले बैंकों का होगा। तीसरे सेट में छोटे उधारकर्ताओं की ऋण जरूरतें पूरी करने वाले अपेक्षाकृत छोटे निजी क्षेत्र के बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों का समावेश होगा। चौथे खंड में ऐसी डिजिटल संस्थाएं शामिल होंगी जो ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से या उनके एजेन्टों या फिर सहयोगियों के रूप में सेवा-प्रदाताओं का कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं अधिकाधिक रूप से सभी खंडों में "महत्वपूर्ण अंश" के रूप में उभरेंगी।

एक अन्य प्रसंग में श्री दास ने यह भी कहा कि बैंकिंग क्षेत्र के सुदृढ़ स्वास्थ्य को बनाए रखना एक नीतिगत प्राथमिकता बनी हुई है। बैंकिंग प्रणाली को शक्तिशाली बनाना कारपोरेट अभिशासन और नैतिकता-प्रेरित अनुपालन संस्कृति पर संकेन्द्रण के साथ ही उसके पूंजी-आधार को निर्मित किए जाने पर निर्भर करता है। "इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे जोखिमों की समय-पूर्व पहचान करने एवं उसे मापने, जोखिम को सक्रियता से

न्यूनीकृत करने तथा संभाव्य हानियों को अवशोषित करने के लिए अपने कौशल-समुच्चय का उन्नयन करें। उन्हें गंभीर किन्तु युक्तिसंगत दबाव परिदृश्यों के साथ अपने आंतरिक दबाव-परीक्षण ढांचे को भी बढ़ाना चाहिए।" इसके अलावा, बैंकों द्वारा उनकी सूचना प्रौद्योगिकी की मूलभूत सुविधा का उन्नयन किए जाने और साइबर सुरक्षा उपायों के साथ उनकी ग्राहक सेवाओं में सुधार लाये जाने पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर टीका लगवाए जाने के बाद कोविड की स्थिति के प्रति आशावादी

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने हाल ही में प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रारूप में सार्कफाइनैन्स (SAARCFINANCE) के गवर्नर समूह की 41वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में दास ने टीका लगवाए जाने के बाद कोविड 19 की स्थिति के बारे में आशा व्यक्त की। उन्होंने सार्क देशों के सभी केंद्रीय बैंकों की उक्त वैश्विक महामारी का मुक़ाबला करने में उनकी ओर से किए गए प्रयासों के लिए प्रशंसा की।

दास ने सार्कफाइनैन्स की पहलकदमियों के अधीन सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच चौतरफा सहयोग के साथ हुई प्रगति पर चर्चा की शुरूआत की। इस बैठक के दौरान उन्होने सार्कफाइनैन्स ई-न्यूजलेटर के पहले अंक की शुरूआत भी की।

जहां सभी गवर्नर इस बात पर सहमत थे कि उक्त वैश्विक महामारी का अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, वहीं उन्होने वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए दृढ़ निश्चय भी व्यक्त किया।

अगले दिन सार्कफाइनैन्स गवर्नरों की विचार-गोष्ठी का उदघाटन करते हुये दास ने केंद्रीय बैंकरों द्वारा विशेषत: बड़े आंकड़ों (डाटा), डिजिटल मुद्राओं (cuttrncies) रेग-टेक, सुप-टेक और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रभावी, रचनात्मक एवं विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व पर बल दिया।

7

आर्थिक संवेष्ठन

आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार की मासिक आर्थिक समीक्षा से कुछेक प्रमुख उद्धरण नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं :

- व्यापार घाटा - भारत का व्यापार घाटा फरवरी, 21 के 13 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर मई, 21 में 14.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। यह प्राथमिक रूप से आयात में 52.9% और निर्यात में 57.2% की वृद्धि के कारण हुआ। आयात में वृद्धि करने वाले मुख्य क्षेत्र रहे सोना, मुख्य तेलेतर और मुख्य स्वर्णेतर वस्तुयें। और जहां तक निर्यात का संबंध है इंजीनियरिंग, फार्मास्युटिकल, रत्नों एवं आभूषणों ने वृद्धि में अंशदान किया।
- मुद्रास्फीति - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति खाद्यान्न और मुख्य मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी के कारण जनवरी, 21 के 4.1% से बढ़कर फरवरी, 21 में 5% हो गई। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति भी विनिर्माण खंड में पर्याप्त वृद्धि के कारण जनवरी, 21 के 2% से बढ़कर फरवरी, 21 में 4.2% हो गई।
- खुले बाजार के परिचालन (OMOs) - प्रणाली में प्रचुर चलनिधि बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में मार्च, 21 तक 3.17 लाख करोड़ रुपए की खुले बाजार में खरीदियां की।
- सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफल में सुलभता - भारत की 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति का प्रतिफल 26 फरवरी, 21 के 6.34% से बढ़कर 6.38% के स्तर पर पहुँच गया। मार्च, 21 के दूसरे अर्धांश में भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार के परिचालनों के उपरांत प्रतिफल में 4 आधार अंकों की गिरावट के परिणामस्वरूप दबाव में कुछ कमी परिलक्षित हुई। 10 वर्षीय एएए कारपोरेट बांड के प्रतिफल फरवरी, 21 के 6.87% से बढ़कर मार्च, 21 में 7.11% हो गए।
- वित्त वर्ष 2020-21 में घरेलू इक्विटी बाज़ारों में पुनरुत्थान आया जिससे निफ्टी-50 और सेन्सेक्स में क्रमश: 71% और 68% का उछाल दर्ज हुआ। उक्त पुनरुत्थान को सरकार द्वारा घोषित प्रेरक उपायों, भारतीय रिजर्व बैंक के चलनिधि संबंधी उपायों तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा रिकार्ड निवेश से

  सहायता प्राप्त हुई। वित्त वर्ष 2020-21 में (30 मार्च, 2021 तक) 36.2

बिलियन अमरीकी डालर का रिकार्ड विदेशी पोर्टफोलियो अंतर्वाह परिलक्षित हुआ।

- माल और सेवा कर वसूली - माल और सेवा कर राजस्व फरवरी, 21 के 1.13 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 21 में 1.24 लाख करोड़ रुपए हो गया।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	26 मार्च, 2021 के दिन बिलियन रुपए	26 मार्च, 2021 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	4200668	579285
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3901003	537953
(ख) सोना	253128	34907
(ग) विशेष आहरण अधिकार	10808	1,490
(घ) अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	35729	4935

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अप्रैल, 2021 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.23000	0.29600	0.52000	0.78000	1.03400
जीबीपी	0.12640	0.2885	0.4337	0.5721	0.6855
यूरो	-0.51000	-0.490	-0.440	-0.380	**-0.300**
जापानी येन	-0.03000	-0.015	0.006	0.009	0.025
कनाडाई डालर	0.62000	0.631	0.926	1.210	1.433
आस्ट्रेलियाई डालर	0.13200	0.190	0.361	0.657	0.922
स्विस फ्रैंक	-0.67000	-0.645	-0.580	-0.493	-0.395
डैनिश क्रोन	-0.12310	-0.1370	-0.1085	-0.0583	-0.0055
न्यूजीलैंड डालर	0.39500	0.510	0.698	0.925	1.160
स्वीडिश क्रोन	-0.01800	0.027	0.108	0.235	0.355

सिंगापुर डालर	0.39750	0.524	0.710	**0.953**	1.165
हांगकांग डालर	0.35000	0.430	0.630	0.880	1.110
म्यामार	2.03000	2.280	2.500	2.680	2.80०

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

अतिरिक्त कारक प्राधिकरण (AFA)

अतिरिक्त कारक प्राधिकरण अथवा द्वि-कारक प्राधिकरण (2FA) एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली होती है जिसमें किसी चीज तक पहुँचने के लिए पहचान के दो सुभिन्न प्रकारों की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग आनलाइन खातों अथवा किसी व्यक्ति के उपकरणों की सुरक्षा के लिए हमलावरों की पहुँच को अपेक्षाकृत कठिन बनाने हेतु किया जाता है। द्वि-कारक प्राधिकरण प्रयोक्ता से दो प्रकार की सूचना प्राप्त करते हुये यह काम करता है- पहली कोई पासवर्ड अथवा वैयक्तिक पहचान संख्या (PIN) और दूसरा कारक किसी सुरक्षा कूट या अंगुलियों के निशान या मुखाकृति का क्रमवीक्षण (scan) होता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

पूंजीगत आस्ति मूल्य-निर्धारण माडेल (CAPM)

पूंजीगत आस्ति मूल्य-निर्धारण माडेल एक ऐसा माडेल होता है जो किसी प्रतिभूति में निवेश से संबन्धित अपेक्षित प्रतिलाभ और जोखिम के बीच संबंध को वर्णित करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी प्रतिभूति पर अपेक्षित प्रतिलाभ जोखिम-रहित प्रतिलाभ जोड़िए (+) एक ऐसे जोखिम प्रीमियम के बराबर होता है जो उस प्रतिभूति के बिटा पर आधारित होता है। यह अपेक्षित प्रतिलाभ = जोखिम-रहित दर + (बिटा x बाजार जोखिम प्रीमियम) के रूप में दर्शाया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अप्रैल, 2021 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अग्रिमों की पुनरसंरचना	15 से 17 अप्रैल, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
बैंकों में जोखिम प्रबंधन	19 से 20 अप्रैल, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
अपने ग्राहक को जानिए/ धन-शोधन निवारण और आतंकवाद वित्त-पोषण का मुकाबला	19 से 20 अप्रैल, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित खजाना व्यावसायिक	20 से 22 अप्रैल, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
डिजिटल विपणन और ग्राहक संबंध प्रबंधन में बड़े आंकड़ों के उपयोग का विश्लेषण	22 से 23 अप्रैल, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
नवागंतुकों के लिए ऋण मूल्यांकन	26 से 27 अप्रैल, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
तुलनपत्र वाचन और अनुपात विश्लेषण	26 से 27 अप्रैल, 2021 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

मई/जून, 2021 परीक्षाओं से संशोधित सीएआईआईबी के चयनात्मक विषय

संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे सीएआईआईबी के चयनात्मक विषयों की संख्या 11 विषयों से घटाकर 6 विषय कर दी गई है। मई/जून 2021 और उसके बाद से संचालित परीक्षाओं के लिए छः चयनात्मक विषय यथा - खुदरा बैंकिंग, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, केंद्रीय बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन उपलब्ध कराये जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से ही ग्यारह में से कोई भी एक ऐसा चयनात्मक विषय चुन रखे हैं, जो मई/जून, 2021 की परीक्षाओं से हटा दिये गए हैं, उन्हें ऊपर वर्णित 6 चयनात्मक विषयों में से कोई भी एक विषय चुनना होगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हटाये गए चायनात्मक विषयों में से किसी विषय को लेकर सीएआईआईबी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें उत्तीर्ण विषय की मान्यता कायम रखने

की अनुमति होगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in. देखें।

मई, 2021 से आरंभ होने वाले 10वें उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम बैच की शुरूआत

उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (AMP) बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों एवं कार्यपालकों के लिए एक व्यापक प्रबंधन पाठ्यक्रम है। उक्त कार्यक्रम के आनलाइन होने के कारण देशभर के अभ्यर्थी इसमें सप्ताह के अंत में घर बैठे भाग ले सकते हैं। सम्पूर्ण देश के प्रतिष्ठित संकाय सदस्य और उद्योग विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में व्याख्यान देंगे। उक्त बैच के प्रारम्भ होने की अस्थायी तिथि 22 मई, 2021 है तथा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 मई, 2021 है। उपलब्ध सीटों की सख्या 50 है और वह पहले आए पहले पाये आधार पर उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक http:/iibf.org.in//postExamCCO2017.asp?ccono=79 देखें।

एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग

संस्थान ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए "नेतृत्व विकास कार्यक्रम (Leadership Development Program)" संचालित करने हेतु एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के साथ सहयोग का एक करार किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंकों में अच्छे प्रबन्धकों को मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ एक प्रभावी अग्रणी (leader) के रूप में रूपांतरित करना है। प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से सप्ताह के अंत में आयोजित किए जाने वाले इस कार्यक्रम की अवधि 36 घंटों की होगी, जो 6 सप्ताहों तक विस्तारित होगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ

संस्थान ने परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ (Remote Proctored) आरंभ कर दी हैं। परोक्ष रूप से निरीक्षित परीक्षाएँ अभ्यर्थियों को घर बैठे परीक्षाओं में शामिल होने और उसके साथ ही उनके ज्ञान के आधार को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती हैं। परीक्षाएँ दूसरे और चौथे शनिवारों तथा सभी रविवारों को आयोजित की जाती हैं। परीक्षा शुल्क

में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। महत्वपूर्ण अनुदेश एवं इस विधि की परीक्षा में बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न संस्थान की वेबसाइट पर डाले गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें : http://iibf.org.in/exam_related notice.asp

नया पाठ्यक्रम

संस्थान द्वारा "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016" पर विशेष बल के साथ बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान" विषय पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। पहली परीक्षा की तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इस पाठ्यक्रम का ध्येय है बैंकिंग व्यावसायिको एवं कर्मचारियो के बीच उक्त संहिता की समझ विकसित करना, बैंकरों को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधियों
तथा किसी दिवाला समाधान प्रक्रिया में उनकी भूमिकाओं को निभाने के लिए बेहतर समझ रखने और वाणिज्यिक निर्णयों सहित उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के अत्यंत सावधानी और कर्मठता के साथ सभी हितधारकों के हित में निर्वहन के लिए उनकी सक्षमता को सुदृढ़ करने में समर्थ बनाना।

व्यावसायिक बैंकर अर्हता की शुरूआत

संस्थान एक ऐसी सुनहरी महत्वाकांक्षी अर्हता की शुरूआत करेगा जो शिक्षण एवं ज्ञान के क्षेत्र में परमोत्कर्ष का प्रतीक होगी। व्यावसायिक बैंकर के नाम से जानी जाने वाली यह अर्हता मध्यम प्रबंधन स्तर में लंबे समय से अनुभव किए जा रहे कौशल अंतर को भरने के लिए एक विशिष्ट अर्हता है और यह बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्रों में निर्णायक ज्ञान उपलब्ध कराएगी। व्यावसायिक बैंकर की हैसियत पाने के इच्छुक किसी बैंकर को पाँच वर्षों का अनुभव रखना जरूरी होता है। संस्थान द्वारा इस अर्हता के विवरण थोड़े ही समय में घोषित किए जाएंगे।

संशोधित सतत व्यावसायिक विकास योजना

संस्थान ने 15 सितंबर, 2020 से विद्यमान सतत व्यावसायिक विकास (CPD) योजना

को संशोधित कर दिया है। संस्थान द्वारा आरंभ किए गए नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है, सहभागिता किए गए व्याख्यानों, संगोष्ठियों, वेबिनारों के लिए प्रत्यय पत्रों
(credits) को संशोधित कर दिया गया है। सतत व्यावसायिक विकास योजना में एक वर्ष के भीतर आवश्यक प्रत्यय पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के वैधीकरण की शर्त पर प्रमाणपत्र दिये जाएंगे। संशोधित योजना के अधीन परिणाम घोषित किए जाने की तिथि से प्रारम्भ होकर सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के तहत पंजीकरण की तिथि तक पिछले 9 महीनों में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स से प्राप्त की गई अर्हताएँ प्रत्यय पत्र की पात्र होंगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

चार्टर्ड बैंकर संस्थान के साथ सहयोग

संस्थान ने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के प्रमाणित कनिष्ठ सहयोगियों (JAIIB) के लिए जेएआईआईबी व्यावसायिक परिवर्तन मार्ग के माध्यम से चार्टर्ड बैंकर की हैसियत प्राप्त करने का एक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए चार्टर्ड बैंकर संस्थान के साथ एक पारस्परिक मान्यता करार (MRA) हस्ताक्षरित किया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

बैंक क्वेस्ट विश्वविद्याल अनुदान आयोग की जर्नलों की केयर सूची में शामिल

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के तिमाही जर्नल बैंक क्वेस्ट को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के समूह बी वाले जर्नलों की केयर सूची में शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सावित्री फुले पुणे विश्वविद्यालय
(SPPU) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – शैक्षिक एवं शोध नीति-शास्त्र संकाय UGC- Consortium for academic and Research Ethics) सृजित करने हेतु प्रकाशन नीति-शास्त्र केंद्र (CPE), में जर्नलों के विश्लेषण के लिए एक कक्ष की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सूचना के अनुसार सभी शैक्षिक प्रयोजनों के लिए केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की केयर सूची में समाविष्ट जर्नलों के शोध प्रकाशनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुयें

बैंक क्वेस्ट'' के अप्रैल- जून, 2021 के आगामी अंक के लिए विषय-वस्तु है:
''इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैन्सिंग - न्यू नार्मल''

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा
जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि
(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2021 से जुलाई, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2019 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा। (ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2020 से जनवरी, 2021 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2020 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या : 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की खबरें

प्रारक्षित स्वर्ण निधि वृद्धि

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00

अक्तूबर 2020 | नवम्बर 2020 | दिसम्बर 2020 | जनवरी 2021 | फरवरी 2021 | मार्च 2021

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

कच्चा तेल - वृद्धि %

0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

सितंबर 2020 | अक्तूबर 2020 | नवंबर 2020 | दिसंबर 2020 | जनवरी 2021 | फरवरी 2021

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मार्च, 2021

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

105
100
95
90

स्रोत : एफबीआईएल

भारित औसत मांग दरें

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूजलेटर मार्च, 2021

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

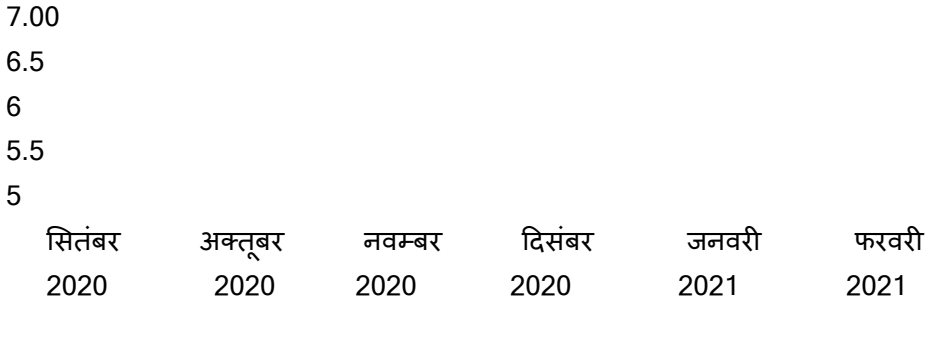

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मार्च, 2021

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE)

बैंक ऋण वृद्धि %

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकोनामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड मार्च, 2021

बैंक ऋण वृद्धि %

6.7
6.5
6.3
6.1
5.9
5.7
5.5

सितंबर 2020	अक्तूबर 2020	नवम्बर 2020	दिसंबर 2020	जनवरी 2021	फरवरी 2021

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : विश्व केतन दास

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in

.